

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9085 / 3368-69

दिनांक : 2-12-19

सेवा में

1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक ।
2. वन मण्डल अधिकारी, करनाल ।


विषय : Diversion of 6.4022 ha. of forest land in favour of Sub Divisional Officer, Karnal W/S Sub Division, Irr. & W.R. Deptt. Hry., Karnal for providing concrete side lining with paver in reach RD 96000-126415 on WJC Main Branch including reconstruction/remodeling of pucca structure in Tehsil Gharaunda, under forest division and District Karnal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Irrig/41538/2019

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक का पत्र क्रमांक 1906 दिनांक 15-11-2019 ।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के तहत लगाए जाने वाले $12804+6000=18804$ पौधों के लिए 18.804 है० वन भूमि (सी०ए०साईट) की आवश्यकता है और इसके लिए सी०ए० साईट करनाल वन मण्डल के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है । सी०ए० साईट का चयन हुए बिना ही इस केस में सी०ए० स्कीम किस आधार पर तैयार की गई है और इस प्रकार अधूरा प्रस्ताव इस कार्यालय को क्यों भेजा गया है, के बारे में अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को भेजें ।

इसके अतिरिक्त इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए करनाल वन मण्डल के अन्तर्गत सी०ए० साईट उपलब्ध न होने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3222-3223 दिनांक 14-11-2019 का अवलोकन करके आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ताकि तदानुसार आगामी कार्यवाही की जा सके ।


मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।